हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

मानव विकास समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(2022-23)

योजना विभाग

37वाँ .....मूल प्रतिवेदन

योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित।

(दिनांक 12-08-2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1-16
	अध्याय-I	2-11
	समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया, का विवरण।	
	अध्याय-II	12-13
	समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया, का विवरण।	
परिशिष्ट-I	समाप्त आश्वासनों की सूची।	14
परिशिष्ट-II	लम्बित आश्वासनों की सूची।	15
परिशिष्ट-III	आश्वासन जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन के तैयार होने तक प्राप्त नहीं हुए, की सूची।	16

समिति का गठन

सभापति:

श्री विनोद कुमार

सदस्य:

2. श्री विनय कुमार
3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
4. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
5. श्री राकेश सिंघा
6. श्री होशयार सिंह
7. श्री जीत राम कटवाल
8. श्री सुरेन्द्र शौरी
9. श्री विशाल नैहरिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय :

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्रीमती रीता देवी : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, मानव विकास समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति का 37वाँ मूल प्रतिवेदन जोकि योजना विभाग से सम्बंधित है व सदन में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करता हूँ।

मानव विकास समिति का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973(नवम् संस्करण) के नियम 209 व 211 की अनुपालना में अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/ 2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति ने दिनांक 10-01-2020 व 12-07-2022 को आयोजित बैठकों में आश्वासनों के प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार-विमर्श उपरान्त की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया।

समिति ने इस प्रतिवेदन को दिनांक 10-08-2022. की आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अनुमोदित किया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिये प्राधिकृत किया।

समिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित रूप में सूचना उपलब्ध करवाई।

समिति, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

(विनोद कुमार)
सभापति,
मानव विकास समिति।

शिमला-171004
दिनांक : 10/08/2022

प्रतिवेदन

मानव विकास समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) के अन्तर्गत योजना विभाग से सम्बन्धित तेरहवीं विधान सभा के विभिन्न सत्रों में माननीय मंत्री द्वारा सदन में प्रश्नों के उत्तरों एवं वक्तव्यों पर दिए गए आश्वासनों के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त उत्तरों पर समिति ने दिनांक 10-01-2020 व 12-07-2022 को आयोजित बैठकों में संवीक्षा उपरान्त जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों के दृष्टिगत कोई टिप्पणी नहीं की, उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I** व **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है। समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुई और विभाग से अतिरिक्त जानकारी चाही उनका विवरण **अध्याय-II** व **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है तथा जिन आश्वासनों के उत्तर इस प्रतिवेदन को तैयार करने तक उपलब्ध नहीं हुए उनका विवरण **परिशिष्ट-III** में दर्शाया गया है।

समिति निर्देश देती है कि आश्वासनों को निर्धारित समय-सीमा में कार्यान्वयन करने हेतु ठोस पग उठाएं और जिन आश्वासनों पर समिति द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही है तथा जिन आश्वासनों के उत्तर प्रतिवेदन तैयार करने तक अपेक्षित हैं उन सभी के उत्तर शीघ्रातिशीघ्र समिति के अवलोकनार्थ भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि समिति उनकी समय रहते संवीक्षा कर सके।

अध्याय-I

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया, का विवरण:-

1. आश्वासन संख्या: 1/2018-Decentralise Planning.

श्री राकेश सिंघा विधायक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 102, दिनांक 15-03-2018 के लिखित उत्तर के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न कि जो नेशनल हाई-वे आए हैं उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनी। हमें ग्रास रूट प्लानिंग को सफल बनना है तो उसके लिए क्या निचले स्तर पर स्टॉफ रिक्रूट कर रहे हैं या नहीं? जिला शिमला में पिछले वित्तीय वर्ष में बीस सूत्रीय समीक्षा और प्लानिंग की मीटिंग कब हुई है? का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि:-

> "ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में हमारी इंजीनियरिंग विंग को स्ट्रेन्थन करने की आवश्यकता है। जहाँ तक आपने जिला शिमला की बैठक के बारे में पूछा है तो इसके बारे में अभी इग्जैक्ट डेट नहीं है, अगर आपको डेट चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।"

इसी के संदर्भ में उन्ही द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न कि क्या आपकी सरकार स्टैच्यूटरी कानून लाएगी और कमेटी जिसने ये पारित करना है, चाहे बीस सूत्रीय रिव्यू हो या जिला प्लानिंग की हो, वह साल के शुरू में, इस बजट के समाप्त होने के साथ ही उसकी मीटिंग शुरू करें। जिससे पूरे साल के लिए वह कार्य अप्रूव्ड

हो जाए और उस पर काम चलेगा, का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि:-

> **"इस हिसाब से this is good suggestion for action, इन्होंने सुझाव दिया है कि इसमें स्टैच्यूटरी प्रोविज़न किया जाये, इसको एग्ज़ामिन करेंगे।"**

विभाग ने दिनांक 09-10-2018 को लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया कि जिला शिमला में जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2014 को हुई थी। समिति के अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्य मन्त्री महोदय की व्यस्तता के कारण इन बैठकों का आयोजन समय पर नही करवाया जा सका। इस समिति की नियमित बैठकों के लिए स्टैच्यूटरी प्रोविजन करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। क्योंकि जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति एक स्टैच्यूटरी इकाई नहीं है, इसकी बैठकों से सम्बन्धित कोई स्टैच्यूटरी प्रावधान किया जाना सम्भव नहीं है। सभी जिलों में इस समिति के गठन की अधिसूचना के समय ही सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को भी विभिन्न जिलों को प्रेषित किया जाता है। इन्हीं दिशा-निर्देशों में जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों की त्रैमासिक आधार पर बैठक किये जाने का प्रावधान है। किन्तु इस बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष जो कि प्रायः उस जिले के माननीय वरिष्ठ मन्त्री होते हैं की सुविधा पर निर्भर करता है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के अर्धसरकारी पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के माध्यम से जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के सभी माननीय अध्यक्षों से जिलों में नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त, अति0 मुख्य सचिव

(योजना) के अर्धसरकारी पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2018 द्वारा भी सभी उपायुक्तों से जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से करवाने कर आग्रह किया है।

समिति ने दिनांक 10-01-2020 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

2. **आश्वासन संख्या: 2/2018-नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि बारे।**

श्री विनोद कुमार, विधायक (नाचन) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 592, दिनांक 24-08-2018 के संदर्भ में जो सूचना सदन के पटल पर रखी के सम्बन्ध में पुन: उन्हीं द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न कि नाबार्ड के तहत एक भी योजना नाचन विधान सभा क्षेत्र को नहीं मिली। कुछ और भी योजनाएं नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। जिनमें खंडैल ब्रिज और संजाला-कमरूनाग सडंक का निर्माण कार्य नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। 'इम्प्रूवमैंट ऑफ जॉन नम्बर-4 टू जॉन नम्बर-8' जिसकी आपने विधिवत् रूप से घोषणा भी की है। इसके साथ हीर भलाठी-सरयाच, राखगलू-जनयाणी और जहल-बूखरास योजनाएं भी नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इन योजनाओं को भी शीघ्रातिशीघ्र नाबार्ड से स्वीकृत करवाने की कृपा करें, का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि:-

> **"जल्दी से जल्दी ये स्कीमें स्वीकृत हों। कुछ ऐसे चुनाव क्षेत्र जिनके लिए पिछले समय में नाबार्ड के तहत बहुत कम स्कीमें स्वीकृत हो पाई हैं, उन क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के**

बराबर नाबार्ड के तहत पैसा मिले। ऐसे में उन चुनाव क्षेत्रों को संतुलित करने का सरकार का प्रयास रहेगा।"

इसी संदर्भ में श्री रविन्द्र कुमार विधायक द्वारा पूछे गए अनूपुरक प्रश्न कि किसी भी चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जो 90 करोड़ की किटी दी जाती है यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 90 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं, तो क्या सरकार उस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि:-

"यदि देखा जाए तो बहुत सारे विधान सभा चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले काफी लम्बे अरसे से नाबार्ड की स्कीमें बहुत कम स्वीकृत हुई हैं और कुछ चुनाव क्षेत्रों में तो पिछले पांच वर्षों में स्कीमें स्वीकृत हुई ही नहीं है। इसलिए संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि जहां पर कोई विकास कार्य हुए ही नहीं हैं वहां थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सारी बातों पर अगले बजट में विचार करेंगें।"

विभाग ने दिनांक 27-11-2019 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्याः 592 के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय विधायक नाचन का यह कहना कि नाबार्ड के अन्तर्गत एक भी योजना नाचन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को नहीं मिली है, के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रश्न संख्या 592 के उत्तर में उल्लेखित है कि सात महीनों की अवधि में नाचन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को नाबार्ड के अन्तर्गत कुल चार विधायक प्राथमिकता योजनाएं 614.16 लाख रू० की स्वीकृत हुई हैं। योजना-बार ब्यौरे का अवलोकन समिति द्वारा कर लिया गया है। माननीय विधायक नाचन द्वारा आश्वासन में उल्लेखित 6 विधायक प्राथमिकता योजनाओं की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा निम्न है:-

योजना का नाम	अद्यतन स्थिति
1.जुनी खडड् पर पुल खन्डेल-नंड तांडी सड़क पर(प्रा0-1, वर्ष 2006-07)	वर्ष 2006-07 की ट्रांच बन्द हो चुकी है तथा इस स्कीम की डी0पी0आर0 नहीं बनने के कारण यह योजना समाप्त हो चुकी है।
2. सड़क निर्माण संजैला से देवकमरू नाग वाया झौर (प्रा0-3, वर्ष 2012-13)	इस स्कीम की डी0पी0आर0 मु0 359.93 लाख रू0 की नाबार्ड को स्वीकृति हेतु दिनांक 19-05-2016 को प्रेषित की गई थी। नाबार्ड द्वारा डी0पी0आर0 का अपरेजल किया गया। सड़क की अलाईनमेन्ट में वन भूमि पड़ती है। एफ0सी0ए0 मामले में संयुक्त निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस बारे आगामी कार्रवाई लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।
3. बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना का सुधार दायां किनारा जोन नं0-4 से 8 तक (प्रा0-3, वर्ष 2010-11)	इस स्कीम की डी0पी0आर0 1640.89 लाख रू0 की नाबार्ड को स्वीकृति हेतु दिनांक 07-08-2018 को प्रेषित की गई थी। डी0पी0आर0 की फील्ड अपरेजल के लिए नाबार्ड द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है। आगामी कार्रवाई सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा नाबार्ड द्वारा वांछित है।
4. सड़क निर्माण भलोठी से सरयाच कि0मी0 0/0 से 10/500 ब्लॉक गोहर (प्रा0-2, वर्ष 2009-10)	इस स्कीम की डी0पी0आर0 मु0 666.58 लाख रू0 की नाबार्ड को दिनांक 14-06-2019 को प्रेषित की गई है। नाबार्ड द्वारा डी0पी0आर0 का अपरेजल किया जाना है।
5. राख गलू जनयाणी सड़क (प्रा0-3, वर्ष 2009-10)	इस स्कीम की डी0पी0आर0 मु0 219.03 लाख रू0 की नाबार्ड को दिनांक 04-02-2010 को प्रेषित की गई थी। नाबार्ड द्वारा डी0पी0आर0 का अपरेजल किया गया। इस सड़क की अलाईनमेन्ट में वन भूमि पड़ती है।
6. जहल-बूखरास सड़क (प्रा0-3, वर्ष 2007-08)	वर्ष 2007-08 की ट्रांच बन्द हो चुकी है। इस सड़क में वन भूमि(एफ0सी0ए0) पड़ने के कारण डी0पी0आर0 नहीं बन पाई। ट्रांच बन्द होने के कारण यह योजना समाप्त हो चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2019 से प्रति चुनाव क्षेत्र विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी0पी0आर0 नाबार्ड को प्रेषित करने की सीमा 90 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 105 करोड़ रू0 कर दी गई है। ताकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी0पी0आर0 बनाने में तीव्रता आए।

समिति ने दिनांक 10-01-2020 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

3. आश्वासन संख्या: 3/2019-विधायक क्षेत्र विकास निधि।

श्री सतपाल सिंह रायजादा विधायक (ऊना) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 1198, दिनांक 07-02-2019 तथा उन्हीं द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न कि जो हमारा विधायक निधि का पैसा है उसमें हमें जिम के यंत्र उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है तो यह कार्य कैसे आगे बढ़ेगा? के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार कहा कि:-

"यह एक अच्छा सुझाव हमारे सामने आया है इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।"

इसी के संदर्भ में सर्वश्री जगत सिंह नेगी, विनोद कुमार, राम लाल ठाकुर विधायकों द्वारा पूछा गए अनुपूरक प्रश्न कि इसमें जो युवा सेवाएं एवं खेल विभाग है, उसमें consumable or non-consumable articles को खरीदने के लिए एक कमेटी बनी हुई है और सारे रेट्स अप्रूव्ड हैं। हर जिले में डी0वाई0एस0ओज़0 हैं और वे खेल विभाग के अधीन काम करते हैं, विधायक निधि का पैसा हम उन अप्रूव्ड रेट्स के मुताबिक डी0वाई0एस0ओज़ को दे दें, तो क्या वे आर्टिकल्ज खरीद कर युवक मण्डल को नहीं दिए जा सकते? के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार उत्तर दिया कि:-

"यह एक अच्छा सुझाव है और उसमें इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। अगर रेट्स अप्रूव्ड हैं, तो लगता है कि इसमें कोई तकनीकी दिक्कत की बात नहीं है, यह बेहतर तरीका है। इसको लेकर निश्चित रूप से विचार करेंगे।"

विभाग ने दिनांक 05-08-2019 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत युवक मण्डल को खेल सामग्री व खेल उपकरण क्रय करने हेतु 25,000/- रूपये तक माननीय विधायक अपनी निधि से अनुशंसा करने का प्रावधान दिशा-निर्देशों में कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा जारी पत्र का अवलोकन भी समिति द्वारा कर लिया गया है। युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके विभाग में consumable तथा non consumable खेल सामान क्रय करने के लिए कोई भी कमेटी गठित नहीं की गई है। परन्तु खेल सामग्री क्रय करने के लिए उद्योग विभाग के द्वारा प्रायः Rate Contract किया जाता है। इस सम्बन्ध में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में किये गये प्रावधानों में से एक यह प्रावधान भी किया गया है कि पंजीकृत युवक मण्डल खेल सामग्री व खेल उपकरण नियमानुसार Rate Contract Vendor/GeM Vendor से ही क्रय करेगें तथा क्रय की गई सामग्री के विरुद्ध बिल विकास अधिकारी कार्यालय खण्ड अथवा जिला योजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे जो कि RTGS के माध्यम से विक्रेता को बिल के आधार पर भुगतान करेगें।

समिति ने दिनांक 10-01-2020 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

4. आश्वासन संख्या: 4/2019-Pending Cases Under NABARD

श्रीमती आशा कुमारी विधायक (डलहौज़ी) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 1506, दिनांक 18-02-2019 के "क" व "ख" भाग के संदर्भ में उन्हीं द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न कि डलहौजी सर्कल में नाबार्ड के 12 केसिज़ पैंडिंग हैं ये कब से पैंडिंग हैं और कब तक इनको स्वीकृत किया जाएगा? का उत्तर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार कहा कि:-

> **"आपके क्षेत्र की जो डी0पी0आर0 पैंडिंग पड़ी है उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उन्हें जल्दी-से-जल्दी स्वीकृत किया जाए।"**

विभाग ने दिनांक 05-08-2020 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि नाबार्ड के पास स्वीकृति हेतु लम्बित विधायक प्राथमिकता 12 योजनाओं में से 7 योजनाओं के निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा मु० 2645.50 लाख रू0 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। एक योजना पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मु० 590.12 लाख रूपये की स्वीकृत हुई है। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप उपरोक्त 8 योजनाएं मार्च, 2019 से जनवरी, 2020 की अवधि में स्वीकृत हुई है। शेष 4 योजनाएं मु० 1318.61 लाख की अभी नाबार्ड के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। जिन्हें शीघ्र स्वीकृत करवाने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रयासरत है। इन योजनाओं के पूर्ण ब्यौरे का अवलोकन समिति द्वारा कर लिया गया है।

इस पर समिति दिनांक 11-11-2020 की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत होना चाहा।

इसी संदर्भ में विभाग ने दिनांक 17-02-2021 समिति को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप शेष 04 योजनाओं को भी नाबार्ड से स्वीकृत करवा लिया गया है। इन 04 योजनाओं के पूर्ण ब्यौरे का अवलोकन समिति द्वारा कर लिया गया है।

समिति ने दिनांक 12-07-2022 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

5. आश्वासन संख्या: 6/2020-विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की उद्घाटन पट्टिकाओं पर विधायक का नाम।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि पर दिए वक्तव्य के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार के ध्यान में लाया कि एम0एल0ए0 प्रायोरिटीज योजनाओं में मुख्य मंत्री और मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी अनकंस्टिच्यूशनल फोर्सिज का नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार से आग्रह किया गया कि एम0एल0ए0 प्रायोरिटीज योजनाओं की उद्घाटन पट्टिकाओं में सम्बन्धित विधायक का नाम अंकित करें। का उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार दिया कि:-

"विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं में विधायक का नाम हों, सरकार इस बात पर विचार करेगी।"

विभाग ने दिनांक 09-12-2020 को लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि योजना विभाग द्वारा जारी विधायक प्राथमिकताओं एवं आर0आई0डी0एफ0 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत एम0एल0ए0 प्रायोरिटीज की स्कीमों में उद्घाटन पट्टिकाओं से सम्बन्धित कोई भी प्रावधान नहीं है। वर्तमान में प्राथमिकताएं स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यकारी विभाग अपने स्तर पर एम0एल0ए0 प्रायोरिटी स्कीमों के कार्यान्वयन के बाद उद्घाटन पट्टिकाएँ लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते है। इसके अतिरिक्त दिशा-निर्देशों उद्घाटन का पट्टिकाओं हेतु प्रारूपण योजना विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

समिति ने दिनांक 12-07-2022 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

अध्याय-II

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नही हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया, का विवरण।

1. आश्वासन संख्या: 5/2019-स्वीकृत धनराशि।

श्री मुकेश अग्निहोत्री विधायक (हरोली) द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या: 737 दिनांक 12-12-2019 कि गत् दो वर्षों में दिनांक 15.11.2019 तक हरोली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नाबार्ड के अन्तर्गत कितनी धनराशि की कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई है, का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि:-

> **"इस स्कीम के अन्तर्गत शेष कम्पोनेन्टस के लिए वर्किंग प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है तथा उनकी निविदाएं भी दो महीने के भीतर आमन्त्रित कर ली जाएगी।"**

विभाग ने दिनांक 08-07-2020 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत उठाऊ सिंचाई योजना गांव पन्जुआना, दुग्गे, नगनोली (लवाणा), पण्डोगा (जगराना), बड़ेहड़ा (पहाड़िया), पंजावर और बाथड़ी (प्रा०-2, वर्ष 2015-16) के शेष बचे हुए 6 घटकों के लिए वर्किंग प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, हमीरपुर जोन के कार्यालय के पत्र संख्या 14012-17 दिनांक 01.02.2020 को 397.22 लाख रू० की प्रदान की गई है तथा इन सभी 6 घटकों की निविदाएं भी जल शक्ति विभाग द्वारा आमन्त्रित करके

दिनांक 16.05.2020 को खोली गई जिनमें से 4 निविदाएं सम्बन्धित मण्डल से ऊना वृत को स्वीकृति हेतु भेजी गई है तथा शेष 2 निविदाएं मण्डल कार्यालय में समीक्षाधीन है। समस्त निविदाओं की स्वीकृति उपरान्त कार्य ठेकेदारों को आबंटित कर दिया जाएगा।

इस पर समिति ने दिनांक 10-11-2020 की बैठक में ऊना जिला के हरोली विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत नाबार्ड से स्वीकृत 6 उठाऊ पेयजल योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहा।

इसी संदर्भ में विभाग ने दिनांक 17-02-2021 को समिति को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि नाबार्ड के अन्तर्गत 06 उठाऊ सिंचाई स्वीकृत योजनाओं के सभी घटकों (स्त्रोत/ उद्गम, पंपिंग मशीनरी, सिविल कार्य, राइजिंग मेन/ग्रेविटि मेन, डिस्ट्रिरीब्यूशन स्सिटम) का कार्य अलग-अलग ठेकेदारों को आबंटित किया जा चुका है तथा सभी घटकों का कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों का कार्यान्वयन जल शक्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इन 06 योजनाओं के पूर्ण ब्यौरे का अवलोकन समिति द्वारा कर लिया गया है।

समिति ने दिनांक 12-07-2022 को सम्पन्न हुई बैठक में ऊना जिला के हरोली विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत नाबार्ड से स्वीकृत 06 उठाऊ पेयजल योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहा।

(आश्वासन लम्बित)

परिशिष्ट-I

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया:-

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय	समाप्त करने की तिथि
1.	1/2018	Decentralise Planning	10.01.2020
2.	2/2018	नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि बारे।	10.01.2020
3.	3/2019	विधायक क्षेत्र विकास निधि	10.01.2020
4.	4/2019	Pending Cases Under NABARD	12.07.2022
5	6/2020	विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की उद्घाटन पट्टिकाओं पर विधायक का नाम	12.07.2022

परिशिष्ट-II

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया:-

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय	लम्बित रखने की तिथि
1.	5/2019	स्वीकृत धनराशि	12.07.2022

परिशिष्ट-III

जिन आश्वासनों के उत्तर इस प्रतिवेदन को तैयार करने तक उपलब्ध नहीं हुए, का विवरण:-

----शून्य------